प्रेषक,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
राजकीय/अनुदानित/ निजी पॉलिटेक्निक संस्थान,
उत्तर प्रदेश।

सं0-I/208214/2025 जे0-109-प्रशा0(रैगिंग) दिनांक: 14-07-2025

विषय: शैक्षिक सत्र 2025-26 के संचालन एवं आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि शैक्षिक सत्र 2025-26 का शुभारंभ होने जा रहा है। इस क्रम में समस्त राजकीय, अनुदानित एवं निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों के प्रधानाचार्यों को निम्नलिखित बिंदुओं के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करना अपेक्षित है:

1. कक्षाओं का संचालन:
   द्वितीय एवं अंतिम वर्ष की कक्षाओं का संचालन दिनांक 15 जुलाई 2025 से प्रारंभ किया जाएगा।
2. औद्योगिक प्रशिक्षण उपरांत उपस्थिति:
   वे छात्र जो परीक्षा के उपरांत औद्योगिक प्रशिक्षण में प्रतिभाग कर रहे हैं, उन्हें 25 जुलाई 2025 तक अनिवार्य रूप से संस्थान में कक्षाओं हेतु उपस्थित होना होगा।केवल उन्हीं छात्रों को कक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा जो 25 जुलाई 2025 तक अपना औद्योगिक प्रशिक्षण प्रमाणपत्र संस्थान में प्रस्तुत करेंगे।
3. प्रथम वर्ष की कक्षाएं:
   नवप्रवेशित प्रथम वर्ष के छात्र-छात्राओं की कक्षाएं 01 अगस्त 2025 से आरंभ की जाएंगी।
4. छात्र स्वागत एवं शैक्षणिक वातावरण:
   शासन के निर्देशानुसार समस्त राजकीय, सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थानों में नव शैक्षिक सत्र के प्रारंभ दिवस पर छात्र-छात्राओं का उत्साहपूर्वक स्वागत सुनिश्चित किया जाए, जिससे उनमें नव उर्जा एवं सकारात्मक वातावरण का संचार हो। साथ ही, संस्थानों में गुणवत्तापरक शैक्षणिक वातावरण के निर्माण हेतु शैक्षणिक गतिविधियों को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाए तथा विधार्थियों के समग्र व्यक्तित्व एवं कौशल विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाए।
5. रैगिंग की रोकथाम एवं छात्र सहायता:
   यह सुनिश्चित किया जाए कि संस्थान में नव प्रवेशित अथवा पूर्व से अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को प्रवेश प्रक्रिया, पठन-पाठन, छात्रावास व्यवस्था, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं, कक्षा संचालन अथवा किसी अन्य शैक्षणिक अथवा प्रशासनिक सुविधा से संबंधित कोई असुविधा

न हो। सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्व तैयारी के साथ इस प्रकार सुनिश्चित की जाएं कि छात्र-छात्राओं को संस्थान में प्रवेश के प्रथम दिन से ही एक सुगठित, समन्वित एवं सहयोगात्मक वातावरण प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि संस्थान परिसर में रैगिंग से संबंधित कोई भी अप्रिय घटना किसी भी स्थिति में न घटित हो। रैगिंग निषेध हेतु एआईसीटीई तथा निदेशालय द्वारा समय-समय पर निर्गत मानक दिशा-निर्देशों, अधिसूचनाओं एवं अधिनियमों का अक्षरशः पालन किया जाए। इस हेतु प्रत्येक संस्थान में एंटी रैगिंग समिति एवं एंटी रैगिंग स्क्वॉड का गठन सक्रिय रूप से किया जाए तथा उसके क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा की जाए।सभी संस्थानों में रैगिंग विरोधी चेतावनी पत्रक/सूचना बोर्ड प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किए जाएं एवं छात्रावासों, कक्षाओं, पुस्तकालयों एवं कैंपस में सीसीटीवी की प्रभावी निगरानी हो।

उक्त के अतिरिक्त, शैक्षिक सत्र 2025-26 से संबंधित अन्य समस्त क्रियाकलाप शासनादेश संख्या I/869158/2025/16-3099/12/2019, दिनांक 03.02.2025(छायाप्रति संलग्न) के अनुसार यथावत संचालित किए जाएंगे।

Digitally signed by KAMLESH MANI
Date: 14-07-2025 17:40:48

भवदीय,

(कमलेश मणि)
सहायक निदेशक,
कृते निदेशक प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- अनुसचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, लखनऊ।
2- निजी सचिव, सचिव/महानिदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
3- निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0, कानपुर।
4- सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय से कि अपने स्तर से भी निजी क्षेत्र की संस्थाओं को सूचित करने का कष्ट करें।
5- सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
6-संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, प्राविधिक शिक्षा, मध्य क्षेत्र, लखनऊ/पूर्वी क्षेत्र, वाराणसी/पश्चिमी क्षेत्र, दौराला, मेरठ/बुन्देलखण्ड क्षेत्र, झांसी को इस आशय से प्रेषित कि आप अपने स्तर से भी क्षेत्रान्तर्गत स्थित संस्थाओं के प्रधानाचार्य को निर्देशित करने का कष्ट करें।

(कमलेश मणि)
सहायक निदेशक,
कृते निदेशक प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।

शीर्ष प्राथमिकता/अति महत्त्वपूर्ण
संख्या:I/869158/2025 /16-3099/12/2019

प्रेषक,

नरेन्द्र भूषण
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक:**03-02-2025**

विषयः-सत्र 2025-26 हेतु प्रदेश के समस्त राजकीय, अनुदानित एवं निजी क्षेत्र की पॉलिटेक्निक संस्थाओं के लिए शैक्षिक कैलेंडर के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

शैक्षिक सत्र का नियमित और सुव्यवस्थित संचालन शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को बनाए रखने के साथ-साथ न केवल विद्यार्थियों के सीखने की प्रक्रिया को सुचारू बनाता है, अपितु संपूर्ण शैक्षणिक वातावरण को अनुशासित और संगठित रखने में भी सहायक होता है। शैक्षिक सत्र का नियमित संचालन विद्यार्थियों को सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन करने का अवसर प्रदान करता है, ताकि वे विषयों को चरणबद्ध तरीके से समझ सकें और उनकी बौद्धिक क्षमताओं का विकास सुचारू रूप से हो सके।

2. शैक्षिक सत्र के नियमित रहने से विद्यार्थियों और शिक्षकों, दोनों के लिए समय प्रबंधन आसान हो जाता है तथा परीक्षाओं और मूल्यांकन की प्रक्रिया भी व्यवस्थित रहती है। इससे विद्यार्थियों को अपनी प्रगति के सही मूल्यांकन का अवसर मिलता है और उन्हें परीक्षा की तैयारी के लिए भी पर्याप्त समय मिलता है। शैक्षिक सत्र नियमित होने से विद्यार्थी अपनी शिक्षा को समय पर पूरा कर पाते हैं, जिससे उनके समक्ष उच्च शिक्षा और कैरियर के विभिन्न अवसरों के द्वार खुलते हैं। नियमित और सुव्यवस्थित शैक्षिक सत्र एक प्रभावी शिक्षा प्रणाली की आधारशिला है। यह विद्यार्थियों, शिक्षकों और समग्र शिक्षा प्रणाली के लिए लाभकारी सिद्ध होता है और समाज में ज्ञान आधारित प्रगति को सुनिश्चित करता है।

3. ध्यातव्य है कि कोरोना महामारी के दौरान उत्पन्न कठिनाईयों के कारण शैक्षिक सत्र का नियमित संचालन प्रभावित हुआ, जिसे नियमित करने के प्रयास विगत वर्षों से किये जा रहे हैं। शैक्षिक सत्र के नियमित न होने के कारण उत्पन्न कठिनाईयों को दूर करने हेतु एक निश्चित कार्यविधि एवं समय सारिणी का निर्धारण किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

4. उक्त के दृष्टिगत प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित वार्षिक पद्धति एवं सेमेस्टर पद्धति (विषम एवं सम-सेमेस्टर) हेतु शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए शैक्षिक कैलेंडर का निम्नवत निर्धारण किया जाता है:-

शैक्षिक सत्र 2025-26 हेतु निर्धारित समय - सारिणी /शैक्षिक कैलेंडर

क्र0 सं0	कार्य विवरण	निर्धारित समयावधि (विषम सेमेस्टर)	निर्धारित समयावधि (सम सेमेस्टर)	निर्धारित समयावधि (वार्षिक परीक्षा)
1.	पठन-पाठन एवं अन्य क्रियाकलाप	15 जुलाई, 2025 से 10 नवम्बर 2025 तक	01 जनवरी 2026 से 28 अप्रैल 2026 तक	15 जुलाई, 2025 से 28 अप्रैल 2026 तक
2.	नव प्रवेशित छात्र/छात्राओं का पाठन-पाठन	01 अगस्त, 2025 से प्रारम्भ	-	01 अगस्त, 2025 से प्रारम्भ
3.	नव प्रवेशित छात्र/छात्राओं हेतु नामांकन आवेदन पत्र	01 सितम्बर, 2025 से 15 सितम्बर, 2025 तक	-	01 सितम्बर, 2025 से 15 सितम्बर, 2025 तक
4.	परीक्षा फॉर्म भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा किये जाने की तिथि (प्रथम, तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर)	15 अक्टूबर, 2025 से 25 अक्टूबर, 2025 तक	15 मार्च 2026 से 30 मार्च 2026 तक	15 मार्च 2026 से 30 मार्च 2026 तक
5.	अनुक्रमांक आवंटन सहित नामावली ऑनलाइन जारी करने की तिथि	01 नवम्बर, 2025 से 05 नवम्बर, 2025 तक	15 अप्रैल, 2026 से 20 अप्रैल, 2026 तक	15 अप्रैल, 2026 से 20 अप्रैल, 2026 तक
6.	ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि	06 नवम्बर, 2025 से 08 नवम्बर, 2025 तक	20 अप्रैल, 2026 से 23 अप्रैल, 2026 तक	20 अप्रैल, 2026 से 23 अप्रैल, 2026 तक
7.	सेशनल अंकों की ऑनलाइन फीडिंग प्रक्रिया	20 नवम्बर, 2025 से 30 नवम्बर, 2025 तक	05 मई, 2026 से 15 मई, 2026 तक	05 मई, 2026 से 15 मई, 2026 तक
8.	प्रयोगात्मक परीक्षा कार्यक्रम (परीक्षा क्रियान्वयन एवं ऑनलाइन फीडिंग)	10 दिसम्बर, 2025 से 24 दिसम्बर, 2025 तक	25 मई, 2026 से 10 जून, 2026 तक	25 मई, 2026 से 10 जून, 2026 तक
9.	सैद्धांतिक परीक्षा	16 नवम्बर, 2025 से 09 दिसम्बर, 2025 तक	01 मई, 2026 से 24 मई, 2026 तक	01 मई, 2026 से 24 मई, 2026 तक
10.	औद्योगिक प्रशिक्षण (Internship)	-	10 जून, 2026 से 10 जुलाई, 2026 तक	10 जून, 2026 से 10 जुलाई, 2026 तक
11.	सेमेस्टर ब्रेक	प्रयोगात्मक परीक्षा समाप्ति के पश्चात 31 दिसम्बर, 2025 तक	प्रयोगात्मक परीक्षा समाप्ति के पश्चात 14 जुलाई, 2026	प्रयोगात्मक परीक्षा समाप्ति के पश्चात 14 जुलाई, 2026

			तक	तक
12.	मूल्यांकन कार्य	10 दिसम्बर 2025 से 10 जनवरी, 2026 तक	25 मई, 2026 से 25 जून, 2026 तक	25 मई, 2026 से 25 जून, 2026 तक
13.	परीक्षाफल	अधिकतम 31 जनवरी 2026 तक	अधिकतम 14 जुलाई 2026 तक	अधिकतम 14 जुलाई 2026 तक

परिषद विनियमावली-2016 (प्रथम संशोधन) के विनियम-3(क) में वर्णित शैक्षिक कैलेण्डर के अनुसार प्रत्येक सेमेस्टर में न्यूनतम 90 प्रभावी शैक्षणिक दिन होने का प्रावधान है। इस प्रकार 15 जुलाई, 2025 से 08 नवम्बर, 2025 तक के विषम सेमेस्टर मे लगभग 28 सार्वजनिक अवकाश (रविवार सहित) हैं, और 91 प्रभावी शैक्षणिक दिन कक्षाएं सम्पादित होंगी, 01 जनवरी, 2026 से 28 अप्रैल, 2026 तक के सम सेमेस्टर में लगभग 30 सार्वजनिक अवकाश (रविवार सहित) हैं, और 90 प्रभावी शैक्षणिक दिन कक्षाएं सम्पादित होंगी तथा 15 जुलाई, 2025 से 23 अप्रैल, 2026 तक के वार्षिक परीक्षा में लगभग 58 सार्वजनिक अवकाश (रविवार सहित) हैं, और 181 प्रभावी शैक्षणिक दिन कक्षाएं सम्पादित होंगी।

5. कृपया शैक्षिक सत्र 2025-26 हेतु प्रदेश के समस्त राजकीय, अनुदानित एवं निजी क्षेत्र की पॉलिटेक्निक संस्थाओं के लिए निर्धारित उक्त शैक्षिक कैलेंडर में अंकित कार्ययोजना, कार्यविधि एवं समय-सारिणी का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by Narendra Bhooshan
(नरेन्द्र भूषण)
अपर मुख्य सचिव
Date: 03-02-2025 13:22:05

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा० मंत्री, प्राविधिक शिक्षा उ०प्र० को मा० मंत्री के अवगतार्थ।
2. निजी सचिव, अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ को अध्यक्ष महोदय का अवगतार्थ।
3. महानिदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. अध्यक्ष, ए०आई०सी०टी०ई/पी०सी०आई०, नई दिल्ली।
5. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ।
6. निदेशक, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, लखनऊ।
7. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, लखनऊ।
8. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, पूर्वी क्षेत्र/बुंदेलखंड क्षेत्र/मध्य क्षेत्र/पश्चिमी क्षेत्र।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,